न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 139/19 (18 आयुध अधिनियम 1959 ) (RCMS No.2019/00156)

भरतलाल पुत्र श्री गिर्राज मीना निवासी कवरपुरा थाना वालाघाट जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 11.11.2019

उपस्थितिः—

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः 19.06.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 11.11.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट भरतलाल ने जिला कलक्टर करौली के आदेश न्याय/15/1657 दिनांक 13.3.2015 जिसके द्वारा अपीलान्ट भरतलाल का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है के विरूद्ध अपील संख्या 476/17 न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अंतर्गत अपील प्रस्तत की गई। संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा उक्त अपील में दिनांक 13.7.2018 को निर्णय करते हुये अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलान्ट को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। इस पर तहत अदालत जिला कलक्टर करौली द्वारा पुनः रिमाण्ड आदेश दिनांक 13.7.2018 की पालना में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2019 पारित करते हुये अपने पूर्व आदेश को यथावत रखते हुये अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त करने का आदेश पारित किया है। जिला कलक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.19 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि आयुध अधिनियम में शस्त्र थाने में जमा नहीं कराने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। कानूनी प्रावधानों के तहत प्रत्येक

19/6/2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

लाईसेंसधारी को व्यक्तिगत सूचना देने के बाद ही अनुज्ञापत्र निरस्ती सम्बधी कोई आदेश पारित किया जा सकता है परन्तु अदालत मातहत द्वारा उनकी ओर से पारित निर्णय दिनांक 13.03.2015 के सम्बन्ध में अदालत हाजा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 13.07.2018 में दिये गये निर्देशों की अनदेखी कर आयुध अधिनियम के कानूनी प्रावधानों पर गौर किये बिना आज्ञा जेरे अपील पारित की है जो काबिले मंसूखी है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट का लाईसेंस सन् 2012 से थाने में जमा है और वह खराब हो रहा है। अपीलान्ट का लाईसेंस सन् 1971 का है अपीलान्ट के विरूद्ध आज दिनांक तक किसी न्यायालय में कोई फौजदारी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने अपने शस्त्र का कोई दुरूपयोग भी नहीं किया है। ना ही अपीलान्ट के किसी कृत्य से कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से आज्ञा पारित की है जो काबिले निरस्त योग्य है। इसके अलावा यह तथ्य उल्लेखनीय है कि शस्त्र को संबधित थाने में जमा कराये जाने के समाचार पत्रों में प्रकाशित निर्देशों की जानकारी अपीलान्ट को नहीं रही है और न ही अदालत मातहत की ओर से अपीलान्ट को सुनवाई का कोई नोटिस दिया गया। तथा अवसर नहीं दिया गया। परन्तु पुनः अदालत मातहत ने पूर्व में पारित निर्णय के आधार पर ही पुनः अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त करने का आदेश दिया है जो कि विधिविरूद्ध है। क्योंकि अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 13.07.2018 में यह निर्देश दिये गये थे कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तार्किक, न्याय संगत एवं स्पीकिंग निर्णय पारित करें। किन्तु अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर गौर नहीं कर न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नही रही है। चाल–चलन अच्छा है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.11.2019 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया, तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान जिला कलक्टर करौली द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.11.19 अदालत हाजा की ओर से अपील संख्या 476/17 जिसमें जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा परित निर्णय दिनांक 13.03.2015 को निर्णय दिनांक 13.07.2018 के द्वारा निरस्त कर इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तार्किक, न्यायसंगत एवं स्पीकिंग आदेश पारित करें। विद्वान जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा उक्त निर्णय की पालना में अपीलान्ट को अपना पक्ष दिनांक 01.07.2019 को उनके कार्यालय में रखे जाने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया तथा पुलिस अधीक्षक करौली से भी अपीलान्ट के सम्बन्ध में पत्र कमांक 988 दिनांक 15.07.2019 के द्वारा रिपोर्ट चाही गयी। अपीलान्ट की ओर से जिला मजिस्ट्रेट करौली के द्वारा जारी नोटिस का दिनांक 01.07.2019 को जबाब प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि प्रार्थी को पंचायत चुनाव 2015 के दौरान शस्त्र जमा कराने की सूचना प्राप्त नहीं हुयी थी। उक्त आदेश की पुनः अखबारों के माध्यम से भी सूचना प्राप्त नहीं हुयी क्योंकि वे ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं तथा अखबार नहीं पढते हैं। अपीलान्ट जिला मजिस्ट्रेट

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

19/6/2020
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

करौली के कार्यालय में दिनांक 01.07.2019, 16.09.2019 व निर्णय दिनांक 11.11.2019 को व्यक्तिशः उपस्थित हुए हैं जिसकी पुष्टि अदालत मातहत की अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के आदेशिका पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर से हो रही है। इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय में जिला मजिस्ट्रेट करौली ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि पंचायत आम चुनाव 2015 के समय जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 को जिले की समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व सम्बन्धित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये थे जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। अपीलान्ट द्वारा शस्त्र जमा नहीं कराये जाने के आधार पर दिनांक 04.02.2015 को अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया था। तत्समय की स्थिति के अनुसार न तो सभी शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों पर व्यक्तिगत तामील करायी जा सकती थी और न ही व्यक्तिगत सुनवाई की जा सकती थी। अपीलान्ट द्वारा तय समय में शस्त्र जमा नहीं कराया गया। अपीलान्ट की ओर से दौराने बहस एवं जवाब में वर्णित तथ्यों का भी अपीलाधीन निर्णय में उल्लेख किया गया है जिसमें अपीलान्ट ने यह कथन किया है कि वह ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है तथा अखबार नहीं पढ़ता है। इसके सम्बन्ध में यह माना गया है कि ग्राम पंचायत के चुनाव ग्रामीण परिवेश में होते हैं। जिसका ज्ञान प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को होता है। उक्त चुनाव प्रति 05 वर्ष में होते है। अपीलान्ट का लाईसेन्स सन् 1971 का है जिसे शस्त्र थाने में जमा कराने की भलीभांति जानकारी थी। इस आधार पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना उचित मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसी प्रकार अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत मीमो आफ अपील में शस्त्र 2012 से थाने में जमा होने का उल्लेख किया गया है जबकि अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावली में सलग्न पुलिस अधीक्षक करौली के पत्र दिनांक 12.12.2019 के अनुसार अपीलान्ट का शस्त्र दिनांक 12.06.2017 से थाना बालघाट में जमा होना बताया गया है। इस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 13.07.2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद गुणावगुण के आधार पर तार्किक, न्यायसंगत व स्पीकिंग आदेश पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आने के कारण हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.11.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

19.6.2023

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर